


XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांकआर.520—तीन / 03

जिला—शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-1-15	<p>इस प्रकरण में आवेदक की ओर से दिनांक 4-5-07 के बाद से कोई उपनहीं हो रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को अपना प्रकरण चलाने में कोई रुचि नहीं है।</p> <p>अतः आवेदक की रुचि के अभाव में यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। दाखिल रिकार्ड हो।</p>	 (एम.के.सिंह) सदस्य

विलोपित
न्यायालय श्रीमान् सदस्य महादय राजस्व मण्डल गवालियर म० प्र०



C. ८५१५।

प्रकरण क्रमांक : /2002-2003 R - 520-111/03

संजय राव पिता संजेराव आयु 45 साल,
जाति मराठा, धौधा कुण्ठा, निवासी
फ्रीडेंज शुजालपुर मण्डी, जिला शाजापुर
मध्य प्रदेश

विरुद्ध

1. विक्रम सिंह पिता समरथमल, आयु 40वर्ष
जाति जैन महाजन, धौधा व्यापार, निवासी
बनियासेरो, शुजालपुर सिटी, जिला शाजापुर
मध्य प्रदेश.
2. हेमत कुमार पिता बीगमल, आयु 32वर्ष
जाति जैन {महाजन} धौधा हाडियर व्यापार
निवासी लोहिया मार्ग शुजालपुर मण्डी, तहो
शुजालपुर, जिला शाजापुर म.प्र.
3. श्रीमति विजयमला विजयवर्गीय पति शिवाजी
राव देशमुख, धौधा गृहकार्य, इच्छा जाति मराठा
4. शिवराज कुमार पिता स्व. शिवाजी राव
देशमुख, आयु 45 साल, जाति मराठा,
धौधा सर्विस
5. राजीव कुमार पिता स्व० शिवाजी राव देशमुख
आयु 40 साल, जाति मराठा, धौधा
व्यापार, रिस्पांटिंग क्र० । लगायत 3 निवासी
शुजालपुर सिटी, हाल मुकाम साऊथ परेड फ्लॉर
नं. 7 होटल सूर्यो के पास इंदौर, तहसील व जिला
इंदौर मध्य प्रदेश ----- रिस्पांटिंग

पुनरीक्षण धार्यिका अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भा. राजस्व
संवित 1959 न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन
सम्मान उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 122/2002-2003 में
पारित आदेश दिनांक 13/3/2003 से दुखित होकर